

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2020 राजस्व अपील

1. मूल्या
2. हारया
3. तेजराम
4. नोन्दया

पुत्रान शंकर जाति माली निवासी बहरावण्डा
तहसील सिकराय जिला दौसा।



अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 31.08.2018 उनवानी
प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप प्र. सं. 234/2018 धारा 91 राज. भू राज. अधिनियम

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 26.08.2020



संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि भूमि खसरा नं. 800, 769 रकबा 0.35 है. किस्म सिवायचक ग्राम रामा बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप सिवायचक जैसा नहीं रहा है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट्स को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने एवं खड़ी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर नीलाम करने के आदेश दिनांक 31.08.2018 को पारित किये हैं एवं अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 31.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दी गई है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत निर्णय करते हुए यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति समट्रेस पास है या नहीं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातों का ध्यान



आति. जिला कलक्टर
दौसा

नहीं रखकर एवं मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 31.08.2018 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत् 2075 खरीफ में ग्राम रामा बहरावण्डा तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 0.20 है. पर बाजरे की एवं खसरा नं. 796 रकबा 0.15 है वा तिल की फसल काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने एवं खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर नीलाम करने के आदेश दिनांक 31.08.2018 को पारित किये है एवं अपीलान्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 31.08.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स ने संवत् 2075 खरीफ में ग्राम रामा बहरावण्डा तहसील सिकराय में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 0.20 है. पर बाजरे की एवं खसरा नं. 796 रकबा 0.15 है पर तिल की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.08.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 मुकदमा नम्बर 234/2018 सरकार बनाम मूल्या वगै. यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर, दौसा

